मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 1999 (फाल्गुन 21,1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सर्वश्री मुन्ना सिंह भदौरिया, ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं भिण्ड जिले में डाकुओं द्वारा अपहरण की घटित घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, लक्ष्मण सिंह गौड़ ,सदस्य, सागर जिले के जैसीनगर एवं राहतगढ़ विकासखण्डों में हो रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, नरेन्द्र सिंह तोमर, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम राहुली में एक युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मगनलाल गोईल, सुनील नायक, पर्वतलाल पुरैनिया, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सरकन्पुर स्थित तालाब की कुर्की किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम बरखेड़ी निवासी सेल्समेन के साथ लूटपाट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले में फ्लोराइडयुक्त पेयजल पाये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, कवर्धा जिले में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य, छतरपुर जिले के चन्दला क्षेत्र में नील गायों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मुंशीलाल, सदस्य, सागर संभाग में इल्ली का प्रकोप होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के रामपुर पुलिस चौकी कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम खरपालटोला की एक आदिवासी महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, शिवपुरी जिले में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ला, रमाकान्त तिवारी, सदस्य, भोपाल के टी.टी. नगर थाना अन्तर्गत एक युवक का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले की राजघाट परियोजना की नहर खुदाई में निकले ग्रेनाइट पत्थरों की चोरी होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, श्रीमती सुशीला देवी, सदस्य, विदिशा नगर में बेतवा नदी में प्रदूषण के कारण जल प्रदाय न होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री अजय विश्नोई, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम धूरी में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, कोरबा जिले में तेंदूपत्ता बोनस राशि का भुगतान न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री भितरूराम बघेल, सदस्य, बस्तर जिले में बहने वाली इन्द्रावती नदी का पानी उड़ीसा सरकार द्वारा रोके जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर शहर में एक युवती का दैहिक शोषण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के रेहली विकास खण्ड की पंचायतों में विकास हेतु दी गई राशि का दुरुपयोग होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पीलूखेड़ी स्थित विन्ध्याचल डिस्टिलरी द्वारा दूषित पानी छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, पुष्पराज सिंह, सदस्य, उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से एक बाघिन गायब होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2.

(23) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के अमगांव व सराईसिंगार ग्राम के कृषकों के खेतों में एस. ई. सी. एल. की कोयला खदान से पानी छोड़े जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के भगवन्तपुर में खदान धसकने से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले में प्राकृतिक प्रकोपों से पान कृषकों को क्षति होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री बाबूलाल गौर, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जावरा सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा मन्दसौर कृषि उपज मंडी की वेष्ठित पूंजी एवं अंशपूंजी वापस न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) ठाकुर सोबरनसिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के गगई में स्थित तालाब फूट जाने से कृषकों की फसलों को हुई क्षति की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, बृजराज सिंह चौहान, सदस्य, विजयपुर विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गणेशराम खटीक, सदस्य, दमोह जिले में कोपरा नदी पर पुल बनाये जाने, तथा

(2) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम खड़ियाहार में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या 01	सामान्य प्रशासन
		मांग संख्या 02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या 32	जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय
2 घन्टे	(2)	मांग संख्या 07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 28	राज्य विधान मण्डल
		मांग संख्या 29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 8 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. अशासकीय संकल्प

60 मि. (1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, केदारनाथ शुक्ला तथा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों में ली जा रही फीस पर नियंत्रण हेतु पहल की जाय."

50 मि. (2) कुंवर तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि मालवा अंचल को सूखे की चपेट से बचाने के लिये नर्मदा, क्षिप्रा तथा कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट (देवास जिले में पुंजापुरा-बागली के पास से) का विस्तृत सर्वे करवा कर इस योजना की स्वीकृति प्रदान की जावे तथा इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की जाय."

40 मि. (3) कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं में यातायात् के नियम सिखाने को अनिवार्य किया जाय."

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.